आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 418/इंदौर/2022
निर्धारण वर्ष : 2014-15

वेलकम कॉलोनाईजर्स प्रा.लि., न्यू ईतवारा रोड, भोपाल (म.प्र)	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त-सीपीसी, बैंगलोर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएसीडब्ल्यू 8697 सी PAN- AAACW8697C		

अपीलार्थी की ओर से	श्री आशीष गोयल तथा श्री एन.डी.पटवा, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	31.05.2023
उद्घोषणा तिथि	31.05.2023

आदेश

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), एनएफएसी, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि सहायक आयकर आयुक्त-सीपीसी, बैंगलोर द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अधीन विरचित आदेश दिनांक 22.04.2015 से उद्भूत है ।

2. सुनवाई के समय, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही हैं क्यों इस अपील में अनुरोध की गई राहत पहले ही आयकर अधिनियम की धारा 154 के अधीन कार्यवाही में प्रदान की जा चुकी है।

निर्धारिती द्वारा अपील वापिस लेने हेतु लिखित में आवेदन भी दाखिल किया है । अतः विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने इसे वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति है यदि निर्धारिती को वर्तमान अपील वापिस लिए जाने की अनुमति दी जाती है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 31.05.2023 को सुनवाई के पश्चात उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)	(विजय पाल राव)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 31.05.2023

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल